

(2)

- 5- 10000 लीटर क्षमता का पानी का टैंक स्थापित किया जाय, जो अग्निशमन कार्य हेतु प्रयोग किया जायेगा।
- 6- आई0एस0-2148 के अनुसार बिजली की वायरिंग की जाय। जिस पर ओवर लोडिंग न रहे।
- 7- पूरा क्षेत्र "धूमपान निषेध" रखा जाय।
- 8- फायर स्टेशन के टेलीफोन नम्बर 101, 240279 एवं 9454418737 की पट्टिका अधिष्ठापित कराया जाय।

अतः उपरोक्तानुसार मेसर्स इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 इलाहाबाद के प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल एवं डीजल टैंक के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि आवेदक द्वारा भवन/ईकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायें तथा रिटेल आउटलेट/पेट्रोल एवं डीजल टैंक के निर्माणोंपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा रिटेल आउटलेट/पेट्रोल एवं डीजल टैंक निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।


(आर0एस0 मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
सुलतानपुर।

प्रतिलिपि:- श्री सर्वेश कुमार पुत्र श्री ननकऊ निवासी ग्राम-उमरी पोस्ट पौधन रामपुर कादीपुर के पक्ष में गाटा संख्या: 278 एवं 280 ग्राम-अयूबपुर परगना बरौसा तहसील जयसिंहपुर सुलतानपुर को सूचनाार्थ।